ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मन्ना देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री रोशन लाल	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलबीर सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	अनुचित रूप से रोकड़ बही में व्यय दर्शा कर राशि को खारिज करना	0.08
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.06
3	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	8.14
4	9	प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक व्यय	1.23
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.37
6	12	मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का अधिक भुगतान	0.07
7	13	निर्माण कार्य पक्का रास्ता बीरधार से रणा खडड में सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शाना	0.04
8	14	निर्माण कार्य पक्का रास्ता छाम्ब बाहली से बाहली गाँव में कार्य समाप्ति उपरान्त सीमेन्ट जारी करना	0.07

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2016 से 10.08.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित मास	व्यय के लिए चयनित मास
1	2013–14	06/2013	01/2014
2	2014–15	06/2014	06/2014
3	2015–16	12/2015	06/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– (पाँच हजार मात्र) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ से अनुरोध किया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "4"** में भी दिया गया है।

(i) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विविध अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विविध अनुदान	अन्त शेष
2013–14	665478	48537	864366	1578381	50071	474273	1054037

2014–15	1054037	86187	631766	1771990	35150	699930	1036910
2015–16	1036910	103099	1187872	2327881	110292	1103442 (1103542)	1114047

31.3.2016 को पास बुक अनुसार शेष =₹1131766 (परिशिष्ट–1)

(ii) मनरेगा

वर्ष	**अथशेष**	**आय/प्राप्तियाँ**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013–14	(–)341672	3288829	2947157	2945713	1444
2014–15	1444	1903525	1904969	1904969	शून्य
2015–16	Nil	2586072	2586072	2586072	शून्य

31.3.2016 को पास बुक अनुसार शेष=शून्य **(परिशिष्ट–2)**

(iii) वाटर शैड

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्तियाँ**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	861826	78984	940810	835622	105188
2014–15	105188	65242	170430	47450	122980
2015–16	122980	404097	527077	381357	145720

31.3.2016 को पास बुक अनुसार शेष=₹145720 **(परिशिष्ट–3)**

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ बही एवं बैंक पास बुकों का मिलान किया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1 से 3"** में दिया गया है।

5 ₹0.08 लाख के अन्तर को अनुचित रूप से रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्शानाः–

ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ की स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि उक्त रोकड़ बही एवं बैंक पास बुकों (A/c No. 14590) में जमा राशि में ₹8091/– का अन्तर था तथा रोकड़ बही में ₹8091/– कम थी। यह अन्तर रोकड़ बही में वित्तीय वर्ष 2013–14 से पूर्व का था।

जाँच मे ंपाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अन्तर का मिलान करने के स्थान पर इस अन्तर की राशि को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 267 में दिनांक 01.6.2013 को "शुद्धि इन्द्राज" लिख कर इस राशि को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्शा दिया गया था, जोकि अनियमित/अनुचित होने के साथ–साथ लेखा सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है।

अतः रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्शायी गई इस ₹8091/– के अन्तर को सम्बन्धित बैंक पास बुक से यथाशीघ्र मिलान करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 **बजट प्राकलन तैयार न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **पंचायत राजस्व की ₹0.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच करने एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹0.06 लाख की वसूली शेष थी।

दुकानों से किरायाः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	5750	6000	11750	6000	5750
2014–15	5750	6000	11750	8500	3250
2015–16	3250	6000	9250	3000	6250

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

8 **अनुदान ₹8.14 लाख का उपयोग न करनाः–**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹814282 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से

अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्राप्त अनुदानों से ₹1.23 लाख का अधिक व्ययः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹123092/— **"परिशिष्ट—4 अनुसार "** प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमों के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है एवं व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किया गया व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस मद से किया गया था बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण अवधि में किये गये सभी निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹136686 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों

को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों में वर्णित प्रावाधानानुसार ही स्टॉक स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 11 से 35 में वर्णित क्रय स्टॉक स्टोर के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	**Vr.No.**	**Date**	**Name of Suplier**	**Bill No.**	**Date**	**Amount**	**Item Purchased**	**Name of Work**
	(क) मनरेगा							
1	–	06/14	प्रकाश हार्डवेयर व जनरल स्टोर बिहूँ	728	1.3.14	7277	सरिया, तार, कील आदि	RWH टैंक रा0व0मा0पा0 बिहूँ निर्माण फुट ब्रिज बैतलू नाला
2	–	06/14	–यथोपरि–	779	10.6.14	19970	–यथोपरि–	
3	77		देवराज सुपुत्र रेहलू गाँव अथराह	–	–	4400	रेत+बजरी 200 cft	निर्माण पक्का रास्ता छम्ब बाहली से बाहली गाँव
4	78		–यथोपरि–	–	–	1100	रेत+बजरी 50 cft	
5	79		गिरधारी लाल सुपुत्र चमारू चनेहड़	–	–	4400	रेत+बजरी 200 cft	
6	80	17.6.15	–यथोपरि–	–	–	4400	–यथोपरि–	
7	81		–यथोपरि–	–	–	4400	–यथोपरि–	
8	82		–यथोपरि–	–	–	4400	–यथोपरि–	
9	83		–यथोपरि–	–	–	4400	–यथोपरि–	
10	84		–यथोपरि–	–	–	4400	–यथोपरि–	
	(ख) वाटर शैड							
11	95		ग्यारडू राम गाँव छम्ब	–	–	4000	पत्थर तुड़ान 100 नं0	निर्माण चैक डैम छौं बाहली नाला
12	96	1.1.14	–यथोपरि–	–	–	4000	–यथोपरि–	
13	97		–यथोपरि–	–	–	2432	पत्थर तुड़ान 608 नं0	
14	110		गिरधारी लाल गाँव चनेहड़	–	–	6000	रेत+बजरी 150 cft	

15	111	16.1.14	—यथोपरि—	—	—	1100	22 बैग सीमेन्ट का ढुलान	
16	98			—	—	4000	पत्थर तुड़ान 1000 नं0	
17	99		ग्यारडू राम गाँव छम्ब	—	—	4000	पत्थर तुड़ान 1000 नं0	निर्माण सिंचाई कूहल छोरू नाला से बाहली
18	100			—	—	3000	पत्थर तुड़ान 750 नं0	
19	101	1.1.14		—	—	4620	पत्थर ढुलान	
20	102			—	—	2394	—यथोपरि—	
21	105		गिरधारी लाल गाँव चनेहड़	—	—	4000	रेत+बजरी 100 cft	
22	106			—	—	4000	रेत+बजरी 100 cft	
23	107			—	—	2400	रेत+बजरी 60 cft	
24	108	16.1.14		—	—	3200	सीमेन्ट ढुलान 40 बैग	
25	109		चन्देल बेल्डिंग वर्कस, द्रमण	—	—	1738	साईन बोर्ड	
26	124			—	—	5000	पत्थर तुड़ान 1250 नं0	निर्माण सिंचाई कूहल हरड़ानाला से चनेहड़
27	125	24.1.14	बलदेव सिंह, गाँव अथराह	—	—	4200	पत्थर तुड़ान 1050 नं0	
28	126			—	—	2000	पत्थर तुड़ान 500 नं0	
29	121		कश्मीर सिंह, चनेहड़	—	—	1350	रेत बजरी 30 cft	निर्माण सिंचाई कूहल हार कलोनो से बनिहार नाला
30	122	24.1.14	—यथोपरि—	—	—	4500	रेत बजरी 100 cft	

31	123		भोभी राम, चनेहड़	–	–	2600	पत्थर तुड़ान 650 नं0	
32	9		प्रकाश हाड्डवेयर स्टोर, बिहूँ	1000	1.9.14	1500	सी जी आई शीटस	निर्माण वर्मी कम्पोस्ट पूर्ण चन्द
33	11		–यथोपरि–	734	15.4.14	2500	सी जी आई शीटस	निर्माण वर्मों कम्पोस्ट प्रवीण कुमार
34	13	19.6.14	–यथोपरि–	709	15.4.14	1500	सी जी आई शीटस	नि0 वर्मा कम्पोस्ट नागराज
35	15		–यथोपरि–	735	15.4.14	1500	सी जी आई शीटस	नि0 वर्मा कम्पोस्ट कमलेश कुमार
					योग	**136686**		

12 मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान किया जाना:–

ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ के मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच मे पाया गया कि निर्माण कार्य "भूमि सुधार हैसी राम चनेहड़" एवं "निर्माण स्टोर टैंक धर्म सिंह अथराह में मजदूरों को क्रमशः ₹82390/– एवं ₹67995/– का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया है।

क्र0सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**वा0 क्रमांक0**	**दिनांक**	**मस्ट्रोल क्रमांक**	**अवधि**	**राशि**	**टिप्पणी/कार्य प्रगति**
1	भूमि सुधार हैसी राम, चनेहड़	31	3.6.14	531	01.5.14 से 14.5.14	11550	
		32	3.6.14	532	01.5.14 से 14.5.14	15246	
		67	12.6.14	909	16.5.14 से 29.5.14	17710	माप पुस्तिका 6420 पृष्ठ 52, 53
		68	12.6.14	910		13244	
		101	26.6.14	1399	1.6.14 से	9702	

					14.6.14		
		102	26.6.14	1398		14938	
					योग	**82390**	
2	निर्माण कार्य स्टोर टैंक धर्म सिंह अथराह	18	13.5.14	187	16.4.14 से 29.4.14	17248	
		33	3.6.14	517	01.5.14 से 14.5.14	10010	माप पुस्तिका 6420 पृष्ठ 18 से 20
		49	3.6.14	518		2167	
		129	25.7.14	2059	01.7.14 से 14.7.14	17248	
		136	04.09.14	2060		3038	
		215	28.11.14	3553	1.11.14 से 14.11.14	15246	
		28	6.6.15	3554		3038	
					योग	**67995**	

उक्त मस्ट्रोलों में किये गये कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका 6420 के पृष्ठ संख्या क्रमशः 52, 53 एवं 18 से 20 की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मजदूरी के विरूद्ध कार्य प्रगति क्रमशः ₹7800/–एवं ₹65579/–ही बनती है एवं मजदूरी को नियमानुसार इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई मजदूरी क्रमशः ₹4389/–एवं ₹2416 कुल ₹6805/–की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्य पक्का रास्ता वीरधार से रणा खडड शालडू श्मशानघाट में ₹0.04 लाख के सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शानाः–

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गये कार्य निर्माण पक्का रास्ता वीरधार से रणा खडड शालडू श्मशानघाट से सम्बन्धित व्यय वाउचर 255 से 257 दिनांक 28.1.2014 की जाँच एवं इस कार्य की गई मात्रा से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 3827 पृष्ठ 69 से 71 (जहाँ इसकी अन्तिम प्रविष्टियाँ की गई है) की जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में "P/L RCCC 1:3:6" 28.88 m3 का निष्पादन किया गया है एवं इसके अतिरिक्त इस कार्य में सीमेन्ट का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार इस कार्य हेतु 127 बैग सीमेन्ट थ्योरिटिकल मात्रा (28.88x4.40) जमा 5% Wastage सहित कुल अधिकतम 133.35 अथवा 134 बैग सीमेन्ट की खपत की जानी अपेक्षित थी।

पंचायत द्वारा इस कार्य से सम्बन्धित अंकेक्षण में प्रस्तुत खाता बही की जाँच में पाया गया कि उक्त खाता बही के पृष्ठ संख्या 188 एवं 221 अनुसार इस कार्य हेतु कुल 150 बैग सीमेन्ट निम्न विवरणानुसार जारी किया गया हैः–

क्र0सं0	दिनांक	जारी सीमेन्ट की मात्रा
1	11.12.13	50 बैग
2	27.1.14	50 बैग
3	25.2.14	50 बैग
	कुल	**150 बैग**

अतः इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा इस निर्माण कार्य में कुल 16 बैग सीमेन्ट (150 बैग–134 बैग) की अधिक खपत दर्शाई गई है जिसकी वसूली ₹3992 (16x249.50) सम्बन्धित से करने के उपरान्त पंचायत की निधि में जमा करवाई जाए एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

14 निर्माण कार्य पक्का रास्ता छम्ब बाहली से बाहली गाँव में निर्माण कार्य समाप्ति उपरान्त जारी सीमेन्ट लागत ₹0.09 लाख एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः–

ग्राम पंचायत द्वारा "निर्माण कार्य पक्का रास्ता छम्ब बाहली से बाहली गाँव" का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत करवाया गया था। उक्त कार्य के निर्माण से सम्बन्धित मस्ट्रोलों एवं अन्य अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार इस कार्य हेतु अन्तिम मस्ट्रोल क्रमांक 10613 एवं 10614 अवधि 01.03.2014 से 14.3.2014 तक जारी किये गये थे एवं इसकी कार्य प्रगति माप पुस्तिका संख्या 3827 पृष्ठ 66–67 में दर्ज है। इस निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की खपत से सम्बन्धित

अभिलेख/माप पुस्तिका की जाँच (खाता बही पृष्ठ संख्या 190) में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु कुल थ्योरिटिकल कन्शम्पशन (Theoritical Consumption) 256 सीमेन्ट बैग के विरूद्ध वास्तविक खपत भी 256 बैग निम्नविवरणानुसार दर्शाई गई है।

क्र0सं0	**जारी सीमेन्ट की मात्रा**	**जारी करने की दिनांक**	**दर प्रति बैग**	**कुल राशि**
1	50 बैग	11.12.13	249.50	12475
2	50 बैग	23.12.13	247.00	12350
3	60 बैग	13.1.14	249.77	14986
4	15 बैग	27.1.14	249.50	2742
5	55 बैग	26.2.14	247.00	13585
6	26 बैग	18.9.14	260.00	6968
योग	**256 बैग**			

उपरोक्त दर्शाये गये विवरणानुसार इस कार्य हेतु 230 बैग सीमेन्ट दिनांक 26.2.2014 तक जारी कर दिया गया था एवं शेष 26 बैग सीमेन्ट माह 09/2014 (18.9.2014 को जारी किया गया दर्शाया गया है जिसे इन्डेन्ट नं0 006 द्वारा स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 97 से जारी किया गया है।

अतः जब उपलब्ध अभिलेख/मस्ट्रोल अनुसार कार्य दिनांक 14.3.2014 को समाप्त हो गया था तो कार्य समाप्ति के 6 माह उपरान्त 26 बैग सीमेन्ट उक्त कार्य हेतु जारी करना युक्ति संगत एवं नियमानुसार नहीं है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन 26 बैग सीमेन्ट ₹6968/– (26X268) की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत निधि खाते में जमा करवाई जाए एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वाउचर संख्या 85 दिनांक 17.6.2015 द्वारा इसी निर्माण कार्य में 80 बैग सीमेन्ट ढुलाई हेतु ₹20/– प्रति बैग की दर से ₹1600/–का भुगतान श्री शोभा राम, गाँव चनेहड़ को किया गया दर्शाया गया है, किन्तु उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार इस कार्य हेतु 80 बैग सीमेन्ट कभी भी एक साथ जारी नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त ढुलाई यह बिल माह 04/2015 का है, जबकि निर्माण कार्य माह 03/2014 में पूर्ण हो चुका है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1600 की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से यथाशीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों

का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बजट प्राक्कलन	12	38
7	वेतन जाँच रजिस्टर	18	58
8	स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
9	स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 विविधः—

(क) ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशैड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013—14 में व्यय वाउचर संख्या 115 दिनांक 18.1.2014 द्वारा ₹22302/—का भुगतान मै0 ब्यास बीज भण्डार, भून्तर (कुल्लू) के पक्ष में 531 कि0ग्रा0 आलू बीज की खरीद के सम्बन्ध में किया गया दर्शाया है, किन्तु पंचायत द्वारा उक्त बीज की न तो स्टॉक प्रविष्टि की गई है एवं न ही इसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त बीज के आगामी निपटारे से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा माह 06/2014 में मनरेगा रोकड़ बही में वाउचर संख्या 79 A दिनांक 16.6.2014 द्वारा ₹1254 का व्यय दर्शाया गया है किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस अनियमित रूप से दर्शाये गये व्यय की वसूली शीघ्र सम्बन्धित व्यक्ति से की जाए एवं इसे पंचायत निधि में जमा करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (ii) 5 / 2016—खण्ड—1—917—920 दिनाँकः09.02.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बातारी बिहूँ विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.